न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—गांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:—49, 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:—169/2020

पृथ्वीसिह पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 16 एसएल डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम्

अनिल कुमार पुत्र भगवानाराम पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 16 एसएल डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
प्रतिवादी

उपस्थित—श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी
श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :— 01.01.2021

वादी पृथ्वीसिह ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत विनिमय एंव घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के नाम से चकनं0 16 एसएल डबल्यू के खाता सं0 61 में कुल 8.855 है0 व प्रतिवादी के नाम से इसी चक के खाता सं0 3/2 में कुल 3.542 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादपत्र की चरण सं0 2 में वर्णित वादी व प्रतिवादी की कृर्षि भूमि एक ही किस्म की है व एक ही चक में स्थित है। वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी के मध्य काश्त की सुविधा अनुसार कृर्षि भूमि का आपस में तबादला किया हुआ है। वादपत्र की चरण सं0 3 में दर्ज आराजी के अनुसार वादी अपनी अपनी आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है।वादी एंव प्रतिवादी की कृर्षि भूमि भी एक ही किस्म की है। वादी व प्रतिवादी के मध्य अपनी कृर्षि भूमि को लेकर अपनी काश्त की सुविधा के अनुसार कृर्षि भूमि काश्त करने के लिए अपनी कृर्षि भूमि का तबादला किया हुआ है तथा तबादला के अनुसार ही वादी व प्रतिवादी कृर्षि भूमि काश्त करते चले आ रहे है।लेकिन राजस्व रिकार्ड में कब्जा व तबादला के अनुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादी वादपत्र की दफा 3 के अनुसार कृर्षि भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गया। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिसमें प्रतिवादी द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी के अनुसार वादी व मुझ प्रतिवादी द्वारा अपनी अपनी भूमि पर काश्त की जा रही है। मुझ प्रतिवादी व वादी द्वारा अपनी अपनी आराजी का अच्छी मन्दी के अनुसार विनिमय किया हुआ है व वादपत्र की दफा 3 के अनुसार ही अपनी अपनी

आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज अदा करते चले आ रहे है। इसलिए वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजी वादीया व हम प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 16 एसएल डबल्यू के खाता सं0 61 में से वादी पृथ्वीसिह का हिस्सा कम व इसी चक के खाता सं0 3/2 में प्रतिवादी अनिल कुमार का हिस्सा कम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। जबाबदावा के साथ प्रतिवादी द्वारा अपने आइ.डी. की फोटो प्रति पेश की है, जो शामिल मिसल की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है।वादी व प्रतिवादी द्वारा अपनी कृर्षि भूमि का विनिमय किया हुआ है जिसके बाबत वादी द्वारा विनिमयपत्र की फोटो प्रति पेश की, वादी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा भी वादी के वाद को स्वीकार करते हुए सहमति के रुप में अपना जबाबदावा पेश किया है। इसलिए वादी का वाद मुताविक जबाबदावा सहमति के स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त दस्तावेजों, जमाबन्दीयों, विनिमय पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादी की भूमि एक ही किस्म की है तथा एक ही चक में स्थित है। वादी द्वारा विनिमय पत्र की प्रति पेश की है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी अनिल कुमार के नाम की चक 16 एसएल डबल्यू के प0न0 182/319 मु0 43 किलानं0 12/.127 है0 उतरी दिशा की भूमि का वादी पृथ्वीसिह को तथा वादी पृथ्वीसिह के नाम की चकनं0 16 एसएल डबल्यू के प0न0 182/319 मु0 43 किलानं0 11/.127 है0 दक्षिणी दिशा की भूमि का प्रतिवादी अनिल कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 16 एसएल डबल्यू के खाता सं0 61 में से वादी पृथ्वीसिह का हिस्सा कम व इसी चक के खाता सं0 3/2 में प्रतिवादी अनिल कुमार का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्र.सं. – 169/2020

पृथ्वीसिह पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 16 एसएल डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
वादी

वनाम्

अनिल कुमार पुत्र भगवानाराम पुत्र अर्जनराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 16 एसएल डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिह प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है किप्रतिवादी अनिल कुमार के नाम की चक 16 एसएल डबल्यू के प0न0 182/319 मु0 43 किलानं0 12/.127 है0 उतरी दिशा की भूमि का वादी पृथ्वीसिह को तथा वादी पृथ्वीसिह के नाम की चकनं0 16 एसएल डबल्यू के प0न0 182/319 मु0 43 किलानं0 11/.127 है0 दक्षिणी दिशा की भूमि का प्रतिवादी अनिल कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 16 एसएल डबल्यू के खाता सं0 61 में से वादी पृथ्वीसिह का हिस्सा कम व इसी चक के खाता सं0 3/2 में प्रतिवादी अनिल कुमार का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

निज......X.....निल....X.....मुब्लिक..X....निल.......X..बाबत.........X.......निल...X.........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X.......... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....01.01.2021.....को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी